उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं0 465-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/18-12-विनियम एवं काविनी/17(टी0सी0-2) दिनांक 04 सितम्बर,2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सं0-149-पी-1/2000-24, दिनांक 14.01.2000 द्वारा प्रवृत्त की गयी उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम की धारा 6(10) के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा शर्तो सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु विनियम बनाये जाने एवं तद्सम्बन्धी प्रशासनिक आदेश जारी किये जाने तक पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के तद्विषयक विनियमों को यथावश्यक परिवर्तनो सहित (mutatis mutandis) लागू किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4-विनियम-23/पी0सी0एल0/2000-1-रेगुलेशन/2000, दिनांक 03.02.2000 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपेक्षित आदेश जारी किये गये थे ।

2- तद्नुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों के सेवा शर्तो सम्बन्धी नवीन विनियमावलियों के सृजन का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु एतदद्वारा श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन एवं श्री शिव शंकर सिंह, सेवानिवृत्त शोध अधिकारी, वित्त वेतन अयोग, उ0प्र0 शासन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि हेतु योजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

3- उक्त कार्य सम्पादन हेतु श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव (वित्त) उ0प्र0 शासन को रू0 70,000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा एवं श्री शिव शंकर सिंह, सेवानिवृत्त शोध अधिकारी, वित्त वेतन अयोग, उ0प्र0 शासन को उक्त कार्य सम्पादन में सहयोगी के रूप में रू0 35,000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा।

4- सेवा शर्तो सम्बन्धी नवीन विनियमावलियों के सृजन के कार्य सम्पादन में अपेक्षित सहयोग एवं वॉछित अभिलेख/सूचनाएँ कार्मिक एवं वित्त नीति तथा विनियम अनुभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। अधिकारियों/कर्मचारियों के संगत अधिष्ठान इकाईयों के प्रमुखों का दायित्व होगा कि वह यथावश्यक की गयी अपेक्षा के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों को यथा वॉछित सहयोग प्रदान करेगें।

अध्यक्ष

संख्या : 465 -(I)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव। ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव। ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ एवं आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, केस्कों, सिविल लाईन्स, कानपुर।
7. श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त, सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, डी-1/10, सेक्टर ए, अलीगंज, लखनऊ।
8. श्री शिव शंकर सिंह, सेवानिवृत्त शोध अधिकारी, वित्त वेतन अयोग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(क्रमशः....... 2)

11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अनु सचिव, स0प्र0 (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)/केयर टेकर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाईल।

(राकेश भटट)
अनु सचिव (का0वि0नी0)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड,
"शक्ति भवन", 14- अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0- 4-विनियम-23/पी0सी0एल0/2000-1-रेगुलेशन-2000 दिनांक: फरवरी 7, 2000

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 7.7.99 को अधिसूचित उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन 14.1.2000 से उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या-148-पी-1/2000 दिनांक 14.1.2000 से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो गया है। तदनुसार अधिसूचना संख्या-149-पी-1/2000-24 दिनांक 14.1.2000 से उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम लागू हो गयी है। इस अन्तरण स्कीम की धारा 6(10) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :-

> "Subject to the provisions of the Act and the Scheme, the transferee shall [frame] regulations governing the conditions of service of personal transferred to the transferee under this scheme and till such time, the existing service conditions of the Board shall mutatis-mutandis apply."

उक्त प्राविधानों के अनुपालन में यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा शर्तें सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु पूर्व में बनाये गये निम्नलिखित विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तद्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेश कार्पोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis) उन पर लागू माने जायेंगे :-

(1) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, अभियन्ता सेवा विनियमावली- 1970
(2) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली- 1970
(3) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1972
(4) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद रसायनज्ञ सेवा विनियमावली - 1970
(5) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली - 1970
(6) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखाधिकारी सेवा विनियमावली - 1984
(7) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियंताओं की एकीकरण एवं ज्येष्ठता सेवा विनियमावली-1976
(8) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की) (सेवा की शर्तें) विनियम-1975
(9) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लोक सेवा अधिकरण विनियम
(10) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवानिवृत्ति) विनियम-1975

-----2

(1) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) (अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रतिनिधायन) विनियम - 1987

(2) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (परिषद के सेवकों का शासन व सार्वजनिक उपक्रमों में संविलियन) विनियम - 1987

(3) ट्रान्सफर ऑफ बोर्डस इम्प्लाईज अ[illegible]न सर्विस रेगुलेशन्स

(4) पेमेंट आफ सब्सिसटेन्स एलाउन्स [illegible] इम्प्लाईज आन सस्पेंशन रेगुलेशन

(5) वकालतनामा, अभिवचन, शपथ पत्र [illegible]स्ताक्षर या सत्यापन तथा परिषद द्वारा या परिषद के विरुद्ध विधिक मुकदमों के दायर करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं आदेश निर्गत करने के सम्बन्ध में विनियम

(6) उ०प्र० शासकीय कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली - 1956 (परिषद द्वारा अंगीकृत)

(7) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद इम्प्लाइज (ट्रांसफर रेगुलेशन्स) 1980

(8) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति) विनियम - 1987

(9) डिटरमिनेशन आफ डेट आफ बर्थ रूल्स - 1974

(10) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली - 1975

(11) सी०सी०ए० रूल्स (एडोप्टेड बाइ द बोर्ड)

(12) ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स एण्ड रूल्स रिलेटिंग टु मेडिकल फैसिलिटीज एडमिसेबिल टु द बोर्डस इम्प्लाइज

(13) पेंशनरी रूल्स (एडोप्टेड बाइ द बोर्ड)

(14) जी०पी०एफ० रूल्स (एडोप्टेड बाइ द बोर्ड)

(15) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली - 1969

(16) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय सेवा विनियमावली - 1995

(17) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (परिषद के कर्मचारियों का स्थायीकरण) विनियम - 1995

(18) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली - 1998

(19) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा विनियमावली - 1998

(20) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली - 1995

(21) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद में चयन वर्ष निर्धारण विनियमावली - 1998

(22) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद चिकित्साधिकारी सेवा विनियमावली - 1994

(23) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद पर्वतीय उपसंवर्ग विनियमावली - 1994

(24) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद शिक्षक सेवा विनियमावली - 1995

(25) द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमिशन (विद्युत सेवा आयोग) उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (प्रोसीजर एण्ड कन्डेक्ट आफ बिजनेस) रेगुलेशन - 1978

(26) द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमिशन (विद्युत सेवा आयोग) उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (लिमिटेशन आफ फंक्शन) रेगुलेशन - 1978

(27) द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमिशन (विद्युत सेवा आयोग) उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (कंडिशन आफ सर्विस) रेगुलेशन - 1978

उक्त आदेश उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के गठन की तिथि से लागू होंगे ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 4-॥।॥ विनियम-23/पी0सी0एल0-2000 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ।
2- महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपारा/पारीक्षा/टाण्डा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह ।
3- महाप्रबन्धक, लेसा/केसा, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ।
4- महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजनायें, देहरादून ।
5- मुख्य अभियंता ॥वितरण॥, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ, पूर्वांचल-वाराणसी/उत्तरांचल, देहरादून ।
6- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ।
7- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ॥वेतन एवं लेखा॥, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

आज्ञा से,

॥भुवन चन्द्र पाण्डे॥
निदेशक ॥कार्मिक एवं प्रबन्धन॥

संख्या: 4-॥।॥ विनियम-23/पी0सी0एल0-2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3- निदेशक ॥पारेषण॥/॥वितरण॥/॥वित्त॥/॥कारपोरेट प्लानिंग॥, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4- महानिदेशक ॥इक्वेटर॥/॥पीपीए॥/॥एच0आर0डी0॥/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता ॥जल विद्युत॥, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता ॥जाँच समिति॥, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- मुख्य नियंत्रक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ। ॥लेखा सम्प्रेक्षा॥
9- महाप्रबन्धक ॥औद्योगिक सम्बन्ध॥, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि, लखनऊ।
10- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0लखनऊ।
11- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

॥भुवन चन्द्र पाण्डेय॥
निदेशक ॥कार्मिक एवं प्रबन्धन॥